

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 87 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

रिलायंस असेट री कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. 11वीं मंजिल, नार्थ साइड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई-400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री परमवीर सिंह

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **बिमला देवी पत्नी कैलाश चन्द**
प्रथम पता:—जांगीड़ मोहल्ला वार्ड नं. 9 वाया पलसाना तहसील खण्डेला उदयपुरा गोविन्दुपरा, सीकर राज. 332402
द्वितीय पता:—पट्टा नं. 3434 बुक नं. 35, ग्राम पंचायत गोविन्दुपरा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राजस्थान 332402
2. **अनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा** जांगीड़ मोहल्ला वार्ड नं. 9 वाया पलसाना तहसील खण्डेला उदयपुरा गोविन्दुपरा, सीकर राज. 332402
3. **कैलाश चन्द शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा** जांगीड़ मोहल्ला वार्ड नं. 9 वाया पलसाना तहसील खण्डेला उदयपुरा गोविन्दुपरा, सीकर राज. 332402
4. **सुनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा** जांगीड़ मोहल्ला वार्ड नं. 9 वाया पलसाना तहसील खण्डेला उदयपुरा गोविन्दुपरा, सीकर राज. 332402
5. **बोदू राम जाट पुत्र नाथू राम जाट** जाटों का मोहल्ला, श्योरिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर, शाहपुरा, राजस्थान 303806

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **बिमला देवी पत्नी कैलाश चन्द, अनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा, कैलाश चन्द शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, सुनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा व बोदू राम जाट पुत्र नाथू राम जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 3434 बुक नं. 35, ग्राम पंचायत गोविन्दुपरा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राजस्थान 332402** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 377.46 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में महेश कुमार का मकान, पश्चिम दिशा में मदन लाल शर्मा का मकान, उत्तर दिशा में आम रोड एवं दक्षिण दिशा में राधेश्याम शर्मा का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹3,50,000/-रूपये (अक्षरे रूपय तीन लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.01.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.01.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **बिमला देवी पत्नी कैलाश चन्द, अनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा, कैलाश चन्द शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, सुनिल कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा व बोदू राम जाट पुत्र नाथू राम जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 3434 बुक नं. 35, ग्राम पंचायत गोविन्दुपरा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राजस्थान 332402** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 377.46 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में महेश कुमार का मकान, पश्चिम दिशा में मदन लाल शर्मा का मकान, उत्तर दिशा में आम रोड़ एवं दक्षिण दिशा में राधेश्याम शर्मा का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अ. आशीष मोदी)
जिल्ला मजिस्ट्रेट, सीकर